



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या: 322/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 22 मार्च, 2024

ए0पी0आई0 मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित कट ऑफ सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र विषय हेतु शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक प्राप्त किये गये अभिलेखों की सन्निरीक्षा के क्रम में अनर्ह सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची को आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 द्वारा प्रसारित किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। उक्त के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने के कारण मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 17 जून, 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 के चतुर्थ संशोधन-2016 के नियम-05 में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र विषयान्तर्गत अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने पर केवल एक बार के लिए मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को संशोधित कटऑफ के आधार पर औपबन्धिक रूप से निम्न अनुक्रमांक के अनुसार शार्टलिस्ट किया जाता है:-

श्रेणी	संशोधित कट ऑफ	अनुक्रमांक			
01	03	04			
सामान्य	89	507296	507901	508435	508121
		507947	508325	507615	507860
		507936			
ओ0बी0सी0	52	508241	507776	508598	508290
		507257			

नोट:- 01. UR के अन्तर्गत संशोधित कट ऑफ 89 में 07 अभ्यर्थियों के सापेक्ष समान कट ऑफ में 09 अभ्यर्थी प्राप्त हुए हैं।

02. OBC के अन्तर्गत संशोधित कट ऑफ 52 में 01 अभ्यर्थी के सापेक्ष समान कट ऑफ में 05 अभ्यर्थी प्राप्त हुए हैं।

03. SC/EXS हेतु पदों के सापेक्ष वांछित अभ्यर्थियों में से अन्य कोई अभ्यर्थी कट ऑफ में उपलब्ध नहीं है। उक्त के क्रम में सामान्य श्रेणी हेतु शार्टलिस्ट 08 अभ्यर्थियों में से 02 अभ्यर्थी (अनु0 507860 एवं 507936) एवं ओ0बी0सी0 श्रेणी हेतु शार्टलिस्ट 05 अभ्यर्थियों में से 02 अभ्यर्थी (अनु0 508290 एवं 507257) जो कि पूर्व में अनर्ह श्रेणी में सम्मिलित थे, द्वारा पूर्व में ही अभिलेख आयोग को उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा संशोधित कटऑफ के क्रम में अर्ह होने के कारण उक्त अभ्यर्थियों (अनु0 507860, अनु0 507936 अनु0 508290 एवं 507257) से अभिलेख वांछित नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त सामान्य एवं ओ0बी0सी0 श्रेणी के नवीन संशोधित कटऑफ के अभ्यर्थियों को साक्ष्यों सहित ऑनलाईन आवेदन में किये गये समस्त दावों हेतु आयोग कार्यालय, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में अभिलेख जमा करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 08 अप्रैल, 2024 (सोमवार) सायं 6:00 बजे तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, तदपश्चात अभ्यर्थियों के इस विषय में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन/प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक से सूचना प्रदान नहीं की जायेगी।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।